न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–पीयुष समारिया, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –250/2022
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2022/314

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
मांगीलाल पुत्र रामजीवण टाक जाति माली निवासी चेनौर तहसील नागौर जिला नागौर राजस्थान।		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री गणपत राज कांगसिया।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजपैरोकार अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 04-04-2023

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत तहसीलदार नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 146/2020(रिमाण्ड प्रकरण संख्या–267/22) सरकार बनाम मांगीलाल में पारित निर्णय दिनांक 29.07.2022 से असंतुष्ट होकर दिनांक 02.09.2022 को प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट की अपील तावेउज मियाद दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट ने अपील के साथ मियाद प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम मय शपथ–पत्र पेश किया है। मयाद प्रार्थना पत्र पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी/अपीलान्ट ने मियाद के बिन्दु पर बहस में कथन किया कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी 16.08.2022 को हुई जिस पर तत्काल नकल आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा 16.08.2022 को अपीलांट को प्राप्त की गई। दिनांक 16.08.2022 को नकल प्राप्त होने से अपीलांट द्वारा अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। इसलिए अपील पेश करने में देरी हुई है जो देरी का कारण वाजिब व संतोषजनक है जिससे देरी को माफ किया जाना न्यायोचित होने का कथन करते हुए आवेदन पत्र स्वीकार कर आवेदन पत्र पेश करने में हुई देरी को माफ किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है। अपीलान्ट द्वारा के अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथन पर विचार करते हुए न्यायहित में प्रार्थी/अपीलान्ट का मयाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील की मेरिट पर सुनवाई की गई।

वकील अपीलान्ट ने लिखित बहस में कथन किया कि अपिलाधीन निर्णय, अवैध, विधि विरुद्ध पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरित होने से अपास्त किये जाने योग्य है। ग्राम हरीमा के खसरा संख्या 787 व 788 की भूमि अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि है तथा अपीलान्ट के खातेदारी की उपरोक्त दोनो खसरो की भूमि के उतरी माठ के चिपते ही खसरा संख्या 760 गैर मुमकिन रास्ते की भूमि चलती आ रही ही है जो अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने की दिनांक तथा आज दिन भी मौके पर खुली है तथा रास्ते के रूप में चालू है।

अपीलान्ट द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष राजस्व अपील संख्या–58/2021 में मौके अड़ौस पड़ौस के मौतबीरान के श्री घनश्याम, लिच्छूराम तथा रणवीर के शपथ पत्र भी पेश किये जिनमें इन सभी मौतबीरान ने सशपथ कथन किया कि अपीलान्ट खसरा संख्या 787 व 788 की अपनी खातेदारी की भूमि पर ही काबिज है तथा खसरा संख्या 788 की उतरी पश्चिमी माठ सीव पर चिपते ही खसरा संख्या 788 की भूमि अपीलान्ट अपने बडेर के समय से पिछले लगभग 40 वर्षों से ज्यादा समय से ढ़ाणी व बाड़ा बना हुआ है जिनका अपीलान्ट उपयोग उपभोग कर रहा है तथा

कलक्टर नागौर

खसरा 788 के उतरी दिशा में चिपता ही खसरा संख्या 760 कटाणी रास्ता चलता है। अपीलान्ट की खसरा संख्या 788 में बनी ढ़ाणी व बाड़ा के उतर दिशा में पिछले 40 वर्षो से रास्ता चलता रहा है और आज दिन भी चलता है। उपरोक्त तथ्यो एवं मौके की स्थिति के कारण अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।कि सम्भागीय आयुक्त अजमेर द्वारा दिनांक 19.04.2022 को पारित निर्णय में तहसीलदार नागौर को निर्देश दिये गये कि वे विवादित आराजियात खसरा नम्बर 760 रकबा 0.18 की मौके की जांच कर मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुए अपीलार्थी को सुनवाई व साक्ष्य व सबूत पेश करने का समुचित अवसर देकर नये सिरे से निर्णय पारित करे किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्भागीय आयुक्त के दिनांक 19.04.2022 के निर्णय की पालना में खसरा संख्या 760 के सम्बन्ध ऐसी कोई जांच कर मौका रिपोर्ट तैयार नही की गई और न ही ऐसी मौका रिपोर्ट जो तहसीलदार नागौर द्वारा मौके की जांच की गई अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है तथा न ही ऐसी किसी जांच अथवा मौका रिपोर्ट पर मौके के मौतबिरान के हस्ताक्षर है सम्भागीय आयुक्त अजमेर द्वारा दिनांक 19.04.2022 को पारित निर्णय में तहसीलदार नागौर को दिये गये निर्देशो की पालना नही करने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पटवारी हल्का हरिमा द्वारा मौके पर जाकर मौके यानि खसरा संख्या 760 के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष की उक्त तथ्यात्मक रिपोर्ट पर मौके के किसी गवाह अथवा मौतबिरान के हस्ताक्षर नहीं है और न ही मौके का नक्शा तथा नाप चौप रिपोर्ट का अंकन नही है अथवा न ही खसरा संख्या 760 का नाप चौप किस बिन्दु अथवा किस सीमा स्थान से किया गया का उल्लेख पटवारी हल्का हरिमा की दिनांक 27.06.2022 की तथ्यात्मक रिपोर्ट में है।

पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 24.12.2020 की मौका रिपोर्ट में अपीलान्ट के खसरा संख्या 760 की रकबा 0.18 बीघा भूमि पर बाड़ा व मकान बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की तथा दिनांक 27.06.2022 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तथ्यात्मक रिपोर्ट में बताया है कि अपीलान्ट ने खसरा संख्या 760 की रकबा 0.18 बीघा पर खेत की बुवाई कर दी है अर्थात पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट तथा मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट पर मौके के किसी मौतबिरान के हस्ताक्षर नही है तथा दोनो रिपोर्टो में भारी विरोधाभास है और पटवारी हल्का की दोनो रिपोर्ट विश्वसनीय नही है जिस कारण भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट ने खसरा संख्या 787, 788 तथा खसरा संख्या 760 गैर मुमकिन रास्ते की रंगीन फोटोग्राफ दिनांक 22.07.2022 की पेश की जिसमें स्पष्ट रूप से खसरा संख्या 760 मौके पर चालू व खुला होना दर्शित है तथा खसरा संख्या की 760 भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण दर्शित नही होता है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत खसरा संख्या 760 के खुले रास्ते की फोटोग्राफ को अपने संज्ञान में नहीं लिया और न ही महत्व दिया जिस कारण भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.08.2022 को पारित निर्णय अपने आप में पूर्णरूप से संदेहास्पद है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय के अनुच्छेद संख्या 06 में वर्णित कथन एवं विवेचन कि "रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण करके जनहित में काम वाली राजकीय भूमि पर किए गए कब्जे को वैध नही ठहराया जा सकता है। **केवल सीमाज्ञान ही एक ऐसा आधार है कि जो स्पष्ट करता है कि उक्त व्यक्ति का कब्जा/अतिक्रमण गैर मुमकिन रास्ता पर है या नही। अतः पत्रावली निर्णय इस अनुसार की जाती है कि पटवारी हल्का एक बार पुनः सीमाज्ञान वक्त बेदखली की कार्यवाही कर ले एवं रास्ता की भूमि से अतिक्रमण हटाकर अपीलार्थी/अतिक्रमी को बेदखल कर दिया जावे।**" इस प्रकार के अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिक रूप से अपूर्ण है जो विधि के सिद्धान्तो के अनुसार अमान्य है जो अपास्त एवं निरस्त किये जाने योग्य है।

कलक्टर नागौर

वकील अपीलान्ट ने सूची दस्तावेज के साथ रामचन्द्र पुत्र घासीराम माली निवासी चेनार, दीनानाथ पुत्र भूरानाथ जाति नाथ निवासी हरीमा, बस्तीनाथ पुत्र अणदानाथ जाति नाथ निवासी हरीमा, लिच्छुराम पुत्र भाणुराम माली निवासी चेनार, शिवराम पुत्र रामपालू माली निवासी चेनार तथा नारायणनाथ पुत्र अणदानाथ जाति नाथ निवासी हरीमा के शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त सभी व्यक्तियों ने उक्त खसरा नम्बर 760 कटाणी रास्ते की भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण नहीं होने एवं कटाणी रास्ता आज दिन भी खुला व चालू होने बाबत अपने शपथ पत्रों में कथन किये है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार कर अपिलाधीन निर्णय दिनांक 29.08.2022 को प्रकरण संख्या–146/2020 (रिमाण्ड प्रकरण संख्या 267/2022) में तहसीलदार नागौर द्वारा पारित निर्णय को अपास्त करने के आदेश फरमावे।

वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड का अवलोकन किया। पटवारी हल्का हरीमा द्वारा रिपोर्ट की गई की मौजा हरीमा के खसरा नम्बर 760 रकबा 0.18 बीघा किस्म गै0मु0 रास्ता भूमि (इसे आगे विवादग्रस्त भूमि से संबोधित किया गया है) पर संवत 2077 में बाड़ा व मकान बनाकर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किया गया। उक्त रिपोर्ट पर अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 आरएलआर एक्ट के तहत प्रकरण संख्या–146/2020 सरकार बनाम मांगीलाल टाक दर्ज कर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया व तत्पश्चात अपीलान्ट को अतिक्रमित रकबे पर से भौतिक रूप से बेदखल करने का तहसीलदार नागौर द्वारा दिनांक 05.01.2021 को आदेश पारित किया। उक्त आदेश दिनांक 05.01.2021 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा में अपील संख्या 58/2021 मांगीलाल बनाम सरकार प्रस्तुत की, जिसमें बाद सुनवाई न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 20.12.2021 से अपीलान्ट की अपील खारिज कर दी। उक्त निर्णय दिनांक 20.12.2021 एवं तहसीलदार नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.01.2021 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा माननीय संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर के न्यायालय में अपील संख्या 19/2022 मांगीलाल बनाम राज.सरकार प्रस्तुत की, उक्त अपील में श्रीमान् संभागीय आयुक्त अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19.04.2022 से अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.12.21 एवं तहसीलदार नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.01.2021 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार नागौर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि वे विवादित आराजियात खसरा नम्बर 760 रकबा 0.18 की मौके की जॉच कर मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रकिया की पूर्ण पालना करते हुए अपीलार्थी को सुनवाई व साक्ष्य व सबूत पेश करने का समुचित अवसर देकर नये सिरे से निर्णय पारित करे।

श्रीमान् संभागीय आयुक्त अजमेर के उक्त निर्णय दिनांक 19.04.2022 की पालना में तहसीलदार नागौर द्वारा प्रकरण संख्या–146/2020(रिमाण्ड प्रकरण संख्या 267/2022) प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया, जिसके कम में अपीलान्ट की ओर से दिनांक 26.07.2022 को जबाब प्रस्तुत किया। उक्त संबंध में पटवारी हरीमा द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 27.06.2022 प्रस्तुत कर मुख्यतः अवगत कराया कि खसरा नम्बर 760 गै.मु. रास्ता की उक्त भूमि रकबा 0.18 बीघा भूमि पर पुनः अतिक्रमण कर कर खेत की बुवाई कर दी गई है। खसरा नम्बर 787 व 788 के उत्तरी तरफ के रास्ते को पूर्णतया बन्द कर दिया है।

उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर ने निर्णय जैर अपील दिनांक 29.07.2022 में उल्लेख किया है कि *"रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण करके जनहित में काम वाली राजकीय भूमि पर किये गये कब्जे को वैध नहीं ठहराया जा सकता है। केवल सीमाज्ञान ही एक ऐसा आधार है, जो स्पष्ट करता है कि उक्त व्यक्ति का कब्जा/अतिक्रमण गै.मु. रास्ता पर है या नहीं। अतः पत्रावली निर्णय इस अनुसार की जाती है कि पटवारी हल्का एक बार पुनः सीमाज्ञान वक्त बेदखली की कार्यवाही कर ले एवं रास्ता की भूमि से अतिक्रमण हटाकर अपीलार्थी/अतिक्रमी को बेदखल कर दिया जावे। उपरोक्त शर्त की पालना करते हुए अप्रार्थी को भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी रिपोर्ट व पटवारी हल्का हरीमा की तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 27.06.2022 के आधार पर अतिक्रमी माना जाकर भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दोषी मानकर मौके पर से भौतिक रूप से बेदखल का निर्णय पारित किया जाता है।"* अधिनस्थ

कलक्टर नागौर

न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा पारित उक्त निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय ने स्वंय ने अपने निर्णय में यह माना है कि केवल सीमाज्ञान ही एक ऐसा आधार है, जो यह स्पष्ट करता है कि उक्त कब्जा/अतिक्रमण गै.मु. रास्ता पर है या नहीं ? इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक ओर विवादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण है अथवा नहीं इस तथ्य को साबित करने के लिए सीमाज्ञान किया जाना आवश्यक होना माना है, वहीं दूसरी ओर अधिनस्थ न्यायालय ने विवादग्रस्त भूमि से अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली का आदेश पारित कर किया, जो निर्णय अपने आप में पूर्णतया विरोधाभाषी है। अधिनस्थ न्यायालय स्वंय ही पूर्ण रूप से सन्तुष्ट नहीं है कि हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट का विवादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बेदखली आदि का आदेश दिया जाना कतई न्यायोचित एवं उचित नहीं है, एवं ऐसा निर्णय दूषित निर्णय की श्रेणी में आता है। न्यायालय को उसके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में विधिवत कार्यवाही करते हुए सम्पूर्ण तथ्यों एवं प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन उपरान्त निर्णय पारित करते समय स्पष्ट आदेश पारित करना चाहिए। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा पारित निर्णय जैर अपील कतई विधिअनुरूप नहीं है।

इसके अलावा माननीय संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19.04.2022 से प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर को रिमाण्ड कर विवादित आराजियात खसरा नम्बर 760 रकबा 0.18 की मौके की जॉच कर मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुए अपीलार्थी को सुनवाई व साक्ष्य व सबूत पेश करने का अवसर देकर नये सिरे से निर्णय पारित करने का आदेश दिया गया था। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर ने माननीय संभागीय आयुक्त महोदय के स्पष्ट आदेश होने के बावजूद भी विवादग्रस्त भूमि के संबंध में कोई स्पष्ट मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं की है, पटवारी हरीमा की तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 27.06.2022 प्राप्त की है, जो मौका रिपोर्ट कतई नहीं है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर ने माननीय संभागीय आयुक्त महोदय निर्णय दिनांक 19.04.2022 में दिये गये निर्देशों की भी पालना नहीं की है, जो कतई उचित नहीं है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा पारित निर्णय जैर अपील विधिसम्मत नहीं होने से प्रकरण को अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर को रिमाण्ड किया जाना उचित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा पारित निर्णय जैर अपील दिनांक 29.07.2022 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार नागौर को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वह प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत आदि का पूर्ण अवसर प्रदान कर एवं माननीय संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19.04.2022 में दिये गये निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए, विधि अनुसार प्रकरण प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों आदि का अपने निर्णय में विवेचन करते हुए पुनः नये सीरे से निर्णय पारित करे। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर नागौर